



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072022-237501
CG-DL-E-23072022-237501

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3177]

No. 3177]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 22, 2022/आषाढ़ 31, 1944

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 22, 2022/ASHADHA 31, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2022

का.आ. 3338(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में NH166E के कि.मी. 76.75 से कि.मी.93.77 (किल्ला भाग मिरज) तक के भूखण्ड पर रास्ते के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "२९/०४/२०२२" को "टाईम्स ऑफ इंडिया" और तारीख "०३/०५/२०२२" को "दक्षिण महाराष्ट्र केसरी" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में NH166E के कि.मी. 76.75 से कि.मी.93.77 (किल्ला भाग मिरज) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: सांगली			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: तासगाव				
	गांव का नाम: जरंडी				
1	254	निजी	कृषक	0.024	नेताजी आण्णासो जाधव, तुकाराम बाळा चव्हाण, कुसुम पांडुरंग चव्हाण, विलास पांडुरंग चव्हाण, सिद्धेश्वर पांडुरंग चव्हाण, मनोहर पांडुरंग चव्हाण, कविता गुणवंत शिंदे. (२५४)
2	255	निजी	कृषक	0.029	दादा निवृत्ती जाधव. (२५५)
3	259	निजी	कृषक	0.053	निवृत्ती आनंदा चव्हाण, मारुती आनंदा चव्हाण, रामचंद्र आनंदा चव्हाण, लक्ष्मण आनंदा चव्हाण. (२५९)
4	261	निजी	कृषक	0.019	लालासो बाळासो शिंदे, पांडुरंग किसन शिंदे. (२६१)
			कुल	0.125	

[फा. सं. RW/NH-2014/144/2017-MAH-Zone IV/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2022

S.O. 3338(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Road Maintenance, management and operation of NH166E on the stretch of land from Km 76.75 to Km 93.77 (Killa Bhag Miraj) in the district of SANGLI in the state of MAHARASHTRA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Times Of India” dated 29/04/2022 and “Dakshin Maharashtra Kesari” dated 03/05/2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH166E in the stretch of land from NH166E (Killa Bhag Miraj) in the district of SANGLI in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: SANGLI		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Tasgaon				
	Village: Jarandi				
1	254	Private	Agriculture	0.024	Netaji Annaso Jadhav, Tukaram Bala Chavhan, Kusum Pandurang Chavhan, Vilas Pandurang Chavhan, Siddheshwar Pandurang Chavhan, Manohar Pandurang Chavhan, Kavita Gunvant Shinde. 254
2	255	Private	Agriculture	0.029	Dada Nivrutti Jadhav. 255
3	259	Private	Agriculture	0.053	Nivrutti Ananda Chavhan, Maruti Ananda Chavhan, Ramchandra Ananda Chavhan, Lakshman Ananda Chavhan. 259
4	261	Private	Agriculture	0.019	Lalaso Balaso Shinde, Pandurang Kisan Shinde. 261
			TOTAL	0.125	

[F. No. RW/NH-2014/144/2017-MAH-Zone IV/3D]

RAJESH GUPTA, Director